न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024 / 143

सिविल प्रकरण संख्याः– 57 / 24 तारीख रजू 29.07.24

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. नफीस अली पुत्र नुरूद्दीन (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स दुकान न 2,3 गुलाब बाग सीमेन्ट फैक्ट्री रोड़, सवाई माधोपुर निवासी पच्चीपल्या, सवाई माधोपुर।
2. हेमराज गोयल (प्रोपराईटर) मैसर्स कुनाल फार्मा बेसमेन्ट प्लॉट न. 04, डॉक्टर्स कॉलोनी, डीसीएम अजमेर रोड़ जयपुर (राज0) 302023।
3. अजय अरोडा (नोमिनी) मैसर्स अरोडा फार्मा बी–8–डी, ग्राउण्ड एवं बेसमेन्ट, मालवीय इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालवीय नगर, जयपुर द्वितीय, 302017।
4. सचिन जैन (नोमिनी) मैसर्स ईन्टास फार्मास्यूटिकल्स लि0 (देवतारा इण्डस्ट्रीज प्रिमाईस) दिल्ली मेरठ रोड, बसन्तपुर सेनताली, मुर्द नगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201206।
5. मैसर्स ईन्टास फार्मास्यूटिकल्स लि0 (देवतारा इण्डस्ट्रीज प्रिमाईस) दिल्ली मेरठ रोड, बसन्तपुर सेनताली, मुर्द नगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201206।
6. हरप्रीत सिंह (पार्टनर) M/s Quixotic Health Care 88 A, EPIP, PHASE-II, THANA BADDI, DIST-SOLAN (H.P.) 173205
7. सतीश कुमार (पार्टनर) M/s Quixotic Health Care 88 A, EPIP, PHASE-II, THANA BADDI, DIST-SOLAN (H.P.) 173205
8. M/s Quixotic Health Care (निर्माता फर्म) 88 A, EPIP, PHASE-II, THANA BADDI, DIST-SOLAN (H.P.) 173205

.... अभियुक्तगण

<u>न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

निर्णयः– **दिनांक 28.01.2026**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल [illegible] खाद्य क्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधि[illegible] 06 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sh
Date: 2026.03.09 12:45:06 IS
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
अति० जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

07.04.23 को 02.00 पी.एम. पर फर्म– फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, निवासी दुकान न. 2,3 गुलाब बाग सीमेन्ट फैक्ट्री रोड, सवाई माधोपुर पर पहुंचा। मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे आवेदक ने अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम नफीस अली पुत्र श्री नुरूद्दीन फर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र व आधार कार्ड प्रस्तुत किया एवं आवेदक द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT DLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN) दुकान में रखे हुए थे। HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT DLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN) में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 200 एमएल की 8 मूल बोतल खरीदकर उसकी कीमत 330/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान आसीफ खान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने फर्म मालिक से खाद्य पदार्थ HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT DLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN) का खरीद बिल चाहा जिस पर फर्म मालिक द्वारा HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT DLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN) का खरीद बिल होना बताया। आवेदक ने खरीदशुदा 200 एमएल की 08 बोतल HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT DLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN) को मूल ही लेकर 04 भाग तैयार किये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2798** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2798 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे नफीस अली ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता नफीस अली को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर छः की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sh
Date: 2026.03.09 12:45:06 IS
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक FSSA/2023/941 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या L.S./1403/Act/2023/2731 दिनांक 10.07.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया **खाद्य पदार्थ** HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT DLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN) **Misbranded** प्रकृति का होना पाया गया है।

आवेदक ने अनुसंधान बाबत मैसर्स फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, सीमेन्ट फैक्ट्री रोड, सवाई माधोपुर को दस्तावेजो हेतु पत्र लिखा जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न किया।

आवेदक ने अनुसंधान बाबत मैसर्स कुनाल फार्मा अजमेर रोड जयपुर को दस्तावेजो हेतु पत्र लिखा जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न किया।

आवेदक ने अनुसंधान बाबत मैसर्स अरोडा फार्मा, जयपुर को दस्तावेजो हेतु पत्र लिखा जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न किया।

आवेदक ने अनुसंधान बाबत मैसर्स ईन्टास फार्मास्यूटिकल लि0, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को दस्तावेजो हेतु पत्र लिखा जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न किया।

आवेदक ने अनुसंधान बाबत मैसर्स Quixotic Health Care जिला सलून को दस्तावेजों हेतु पत्र लिखा जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न किया।

अभिहित अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एवं प्रकरण में समय अवधि विस्तारित हेतु स्वीकृति जारी करने बाबत अनुसंशा श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण) को अपने पत्रांक 587 दिनांक 27.06.2024 द्वारा भिजवायी गई। जिस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में प्रकरण को न्यायालय में पेश करने की समय सीमा दिनांक 01.08.2024 तक विस्तारित किये जाने की अनुमति आदेश दिनांक 1167 दिनांक 05.7.2024 एवं शुद्धिकरण आदेश कमांक 1312 दिनांक 12.07.2024 द्वारा जारी की गई।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2024/696 दिनांक 19.07.2024 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **Misbranded**, HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT DLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN) का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sh
Date: 2026.03.09 12:45:06 IS
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 स्वयं, अभियुक्त संख्या 2 व 3 जरिये अधिवक्ता **श्री प्रेमसिंह हाडा** तथा अभियुक्त संख्या 4 लगायत 8 जरिये अधिवक्ता **श्री विक्रम शर्मा** उपस्थित हुए। अभियुक्त संख्या 1 तथा 4 लगायत 8 द्वारा प्रकरण का जवाब पेश किया गया। अभियुक्त संख्या 2 लगायत 3 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड, HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT DLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN) का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 1 ने बहस में प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की फर्म से दिनांक 07.04.23 का सेम्पल लिया गया था जो मिसब्राण्डेड पाया गया है। प्रार्थी दवाओं को खरीद कर विक्रय करता है एवं दवाओं को खरीदने का बिल प्रार्थी के पास मौजूद है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई दवा निर्मित नहीं की है, ना ही निर्माण का कार्य प्रार्थी का है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का कोई दोष नहीं है। निर्माता कम्पनी ही मिसब्राण्ड होने पर उत्तरदायी है।

अभियुक्त संख्या 2 लगा. 3 द्वारा प्रकरण में निर्माता कम्पनी से सीलबन्द उत्पाद प्राप्त कर उसी अवस्था में अभियुक्त संख्या 1 को विक्रय करना अवगत कराया तथा उक्त प्रकरण में समस्त जिम्मेदारी निर्माता कम्पनी की होना बताया है।

अभियुक्त संख्या 4 लगा. 8 द्वारा बहस में प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विश्लेषण के लिए प्राप्त नमूने का उत्पाद लेबल खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के विनियमन 5 (5) और 7 (1) के अनुरूप नही है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार नमूना उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्ड के रूप में वर्गीत किया है जोकि निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर वैध आधार नहीं रखते हैं–

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46 के प्रावधान के अनुसार नमूना प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर (जहां ऐसा नमूना धारा 38 या धारा 47 के तहत प्राप्त होता है) नामित अधिकारी को नमूना लेने और विश्लेषण की विधि को इंगित करते हुए रिपोर्ट की चार प्रतियां भेजेगा। यदि नमूने का विश्लेषण उसकी प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर नहीं किया जा सकता है तो खाद्य विश्लेषक नामित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारण बताते हुए सूचित करेगा और विश्लेषण के लिए लगने वाले समय को निर्दिष्ट करेगा। प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार नमूने का विश्लेषण 19.04.2023 से 10.07.... तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sha
Date: 2026.03.09 12:45:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

किया जो कुल 83 दिन है जो अधिनियम के प्रावधान में उल्लिखित समय सीमा से परे है। इसके अलावा न तो फर्म VII में और ना ही नामित अधिकारी से प्राप्त पत्र में देरी का कारण बताया गया है या यह उल्लेख किया गया है कि खाद्य विश्लेषक ने नामित अधिकारी और आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को अतिरिक्त समय के बारे मे सूचित किया है, जिसकी उन्हें नमूने का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी।

2. विश्लेषण के लिए समय सीमा के पालन और इसके महत्व से संबंधित मामले पर माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले में कहा गया है कि यदि समय सीमा से संबंधित अनुपालन का पालन नहीं किया जाता है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

अभियुक्त संख्या 4 लगा. 8 ने बहस में यह भी तर्क दिया कि ''राज्य केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर'' द्वारा नमूने का विश्लेषण कर नमूना मिथ्याछाप बताया गया है। उक्त प्रयोगशाला के पास उत्पाद के रासायनिक परीक्षण के दायरे के लिए NABL द्वारा वैध मान्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर द्वारा तैयार की गई विश्लेषण रिपोर्ट अमान्य है। खाद्य नमूना ''HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT FLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN)'' के विश्लेषण के लिए लिया गया समय अधिकतम अनुमत सीमा से अधिक है और उत्पाद के नमूने का विश्लेषण गैर–मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य अनुपूरक खाद्य श्रेणी के उत्पादों में रासायनिक मापदंडो के परीक्षण की कोई गुंजाइश नहीं होती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अनुसार खाद्य व्यवसायी को सुधार नोटिस जारी नहीं किया गया है जबकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विनियामक अनुपालन प्रभाग द्वारा दिनांक 17.01.2020 को जारी आदेश/निर्देश के अनुसार यह सलाह दी गई थी कि बिना किसी सुरक्षा चिंता के किसी भी मामूली लेबलिंग दोष के लिए, संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालक के खिलाफ न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के बजाए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा उक्त उत्पाद लेबल पर लेबलिंग दोष को सुधारने के लिए सभी उचित सुधारात्मक उपाय किए हैं। नए उत्पादित बैचो को उक्त मामूली लेबलिंग दोष के साथ सुधारा गया है और यह उत्पाद लेबल पर सैकरीन को सही ढंग से प्रदर्शित करता है।

अन्त में अभियुक्तगण द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1403/एक्ट/2023/2731 दिनांक 10.07.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT FLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN) मिसब्राण्डेड प्रकृति का होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में कृत्रिम मिठास सैकरीन पाया गया है जबकि नमूने के लेबल पर उसकी घोषणा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sh
Date: 2026.03.09 12:45:06 IS
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

की गई है। जहां तक राज्य केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर के मान्य न होने अथवा राज्य केन्द्रीय सार्वजनिक प्रयोगशाला जयपुर द्वारा तैयार की गई विश्लेषण रिपोर्ट के मान्य नहीं होने का प्रश्न है तो पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है और ना ही अभियुक्तगण की ओर से पेश किया गया है जिससे कि उक्त प्रयोगशाला एवं उसके द्वारा तैयार की गई विश्लेषण रिपोर्ट को अमान्य माना जावे। जहां तक नमूना अधिनियम में उल्लेखित समय से पार होने का प्रश्न है तो नमूना में उत्पाद के किसी भी घटक के व्यवहार में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया है केवल नमूना उत्पाद में कृत्रिम मिठास हेतु सैकरीन पाई गई है जिसका विवरण नमून के लेबल पर नहीं था जिसके कारण नमूना मिथ्या छाप हुआ है जिसे अभियुक्तगण ने माना है तथा उनके कथनानुसार नये उत्पादित बैचों में लेबलिंग दोष में सुधार किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्डेड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** HEALTH SUPPLIMENT DELICIOUS MIXED FRUIT DLAVOURED SYRUP (ZINKOMIN) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 8 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **28.01.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

Signature Not Veri
Digitally signed by San
Date: 2026.03.09 12:45
Reason: SelfAttested